(54)

विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक :– ...../पीबीआर/आर./ग्वालियर/भू.रा./2018
निगरानी – 3218/2018/ग्वालियर/भू.रा.

श्री आशोक भार्गव अधि० द्वारा आज दि० 21-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– उदयभान सिंह पुत्र श्री सरमन सिंह रावत

2– मनमोहन सिंह पुत्र श्री उमाचरन सिंह रावत निवासीगण ग्राम घाटमपुर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म. प्र. –आवेदकगण

बनाम

1– म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

2– श्रीमती हरकोबाई बेवा रतन सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म. प्र.

3– श्रीमती बैजन्ती पुत्र स्व. श्री रतन सिंह पत्नी श्री गुलाब सिंह रावत निवासी ग्राम धमधौली तहसील नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.

4– श्रीमती भगवानदेवी पुत्र स्व. श्री रतन सिंह पत्नी श्री सुल्तान सिंह रावत निवासी ग्राम धमधौली तहसील नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.

5– पानकुंअर पुत्री स्व. श्री रतन सिंह पत्नी जय सिंह रावत निवासी ग्राम इंदरगढ़ तहसील नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.

6– सगुना पुत्री स्व. श्री रतन सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह रावत निवसी ग्राम ररूआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर म. प्र.

7– डाल सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह

8– उमाचरन पुत्र स्व. श्री रतन सिंह निवासीगण क्रमांक 7 व 8 ग्राम

21/5/18
(अशोक भार्गव)
एड.

कार्यालय ... अभिलेख प्रति ... पृष्ठ क्र. 01 ... 06 दिनांक 21/5/18 हस्ताक्षर व नाम

घाटमपुर तहसील भितरवार जिला
ग्वालियर म. प्र. —अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 50 म. प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13/02/2017 न्यायालय तहसीलदार महोदय भितरवार जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 07/2015—16/अ—6 उदयभान आदि बनाम शासन।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3218/2018/ग्वालियर/भू.रा. [ज्ञानप्रकाश / शासन]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.06.2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर के आदेश दिनांक 13.02.2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के लिए अपील का अवसर उपलब्ध होने के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन निरस्त किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	